संख्या-56 /2024/I/ 822991/2024/001-71-4099-1137-2021

प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह**,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13.12.2024

विषयः- **आई0आई0टी0, कानपुर के अन्तर्गत 500 शैयायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नालॉजी (एस0एम0आर0टी0) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रू0 10.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या-निदे0/भा0प्रो0सं0का0/2024, दिनांक-23.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-I/669517/2024, दिनांक-14.06.2024 द्वारा कानपुर शहर में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना की आवश्यकता एंव औचित्य के दृष्टिगत आई0आई0टी0 कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस0एम0आर0टी0) की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा रू0 50.00 करोड़ का एकल वित्त पोषण (05 वर्षो तक देय) प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा शीर्षक 4210031059200 के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) के निर्माण हेतु नई मांग के माध्यम से रू0 10,00,00,000 रुपये दस करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। अतएव आई0आई0टी0 कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस0एम0आर0टी0) की स्थापना हेतु रू0 50.00 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष उपर्युक्तानुसार प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000 दस करोड़ मात्र की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाने वाला वित्त पोषण रू0 50 करोड़ (5 वर्षों तक देय) एकल होगा।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष रू0 10.00 करोड़ की धनराशि आगामी पॉच वर्षों तक आई0आई0टी0 कानपुर को देय होगी।
3. 500 शैयायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नालॉजी के संचालन व्यय का पूर्ण दायित्व आई0आई0टी0, कानपुर का होगा।
4. संस्थान केसंचालन एवं उसके रख-रखाव हेतु गठित शासी निकाय में उत्तर प्रदेश सरकार का एक सदस्य नामित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित निर्धन वर्ग के मरीजों को इनके लिए निर्धारित पैकेज दरों पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
6. विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों व व्यवस्थाओं जैसे उत्तर प्रदेश के कार्मिकों हेतु लागू पं0 दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना व अन्य सुविधाएँ भी सुनिश्चित की जायेंगी।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।
9. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफीस में नहीं रखा जायेगा।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-04 मार्च,2024 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 ( रुपये दस करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031059200 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-199/दस-2024-25 दिनांक 22-11-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या एवं तद् दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
7. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in